संख्या-549 /2016/1799/69-1-2016-14(30)/2016

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2016

विषयः मोटर/बैटरी चालित ई-रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत कतिपय महिला ड्राइवरों को ई-रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने हेतु योजना की शर्तों में शिथिलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभकरण के पत्र संख्या-4415/04 /सात/रि.यो./2014-15-III दिनांक 25.02.2016, संख्या-4596/04/सात/रि.यो./2014-15-III दिनांक 08.03.2016 एवं संख्या-235/04/सात/रि.यो./2014-15-II दिनांक 26.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महानगरों, अन्य नगरीय क्षेत्रों के साथ ही नगर पालिकाओं और नगर पंचायत क्षेत्रों में मानव चालित रिक्शा के स्थान पर मोटर/बैटरी चालित अत्याधुनिक सिस्टम से बनाया गया रिक्शा स्थानीय नगरीय निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालकों को मुफ्त उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी एवं लोकप्रिय योजना आरम्भ करते हुए शासनादेश संख्या-35/69-1-13-14(31)/2012टीसी दिनांक 24 जनवरी, 2013 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. हमसफर महिला सहायता केन्द्र, लखनऊ द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम "नई उमंगे नई पहचान, महिलाओं के हौसलों को सलाम" में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा "महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा ई-रिक्शा व आटोसेवा" का शुभारम्भ करते हुए 07 महिलाओं को मुफ्त ई-रिक्शा दिये जाने की घोषणा की गयी तथा दिनांक 08.03.2016 को उक्त 07 महिला ड्राइवरों को मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मुफ्त ई-रिक्शा वितरित भी किया जा चुका है।

3. इस सम्बन्ध में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुफ्त ई-रिक्शा प्रदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत ऐसे मानव चालित रिक्शा चालक पात्र हैं, जिनका रिक्शा दिनांक 30.11.2014 तक सम्बन्धित नगर निकाय में पंजीकृत है। उक्त सभी महिला ड्राईवर ई-रिक्शा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-35/69-1-13-14(31)/2012टीसी दिनांक 24 जनवरी, 2013 में निर्धारित लाभार्थी पात्रता की शर्तों को पूर्ण नहीं करती हैं। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 24.01.2013 की शर्तों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए 07 महिला ड्राईवरों को मुफ्त ई-रिक्शा वितरण पर कार्योत्तर अनुमोदन सहित 43 अन्य महिलाओं को भी मुफ्त ई-रिक्शा प्रदान किये जाने का निर्णय शासन द्वारा किया गया है, ताकि महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा ई-रिक्शा व आटो सेवा अभियान के अन्तर्गत कम से कम 50 महिला ड्राइवरों को लाभान्वित किया जा सके। उक्त 43 अन्य मिहलाओं को उक्त

-2/

शासनादेश दिनांक 24.01.2013 की शर्तों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए ई-रिक्शा प्रदान किया जायेगा। इन 43 महिला लाभार्थियों के चयन में पारिवारिक हिंसा से पीड़ित तेजाब के हमले से घायल, विकलांगों तथा बेसहारा गरीब महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। ऐसी जरूरतमंद महिला लाभार्थियों का चयन शासनादेश संख्या-789/2015/1752/69-1-2015-14(31)/2012 टीसी दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा जनपद स्तर पर ई-रिक्शा वितरण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त चयन समिति की संस्तुति सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा शासन को प्रेषित की जायेगी। जनपदों से प्राप्त चयन समिति द्वारा संस्तुत लाभार्थियों के नामों पर अन्तिम निर्णय मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा लिया जायेगा।

अतः कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

18/8/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या-579 /2016/1799(1)/69-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. बजट समन्वयक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)

विशेष सचिव।